10 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

48

माननीय न्यायालय मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्य प्रदेश।

निग / 3464 - I - 15

प्रकरण कमांक /2015 पुनरीक्षण।

बलवीर सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री अजीत सिंह आयु 55 साल जाति जाट सिक्ख धन्धा खेती निवासी ग्राम गुरूनावदा (ददूनी) तेहसील श्योपुर जिला श्यौपुर मध्य प्रदेश। ---- आवेदक ।

बिरूद्ध

1- तरूण पुत्र पुरूषोत्तम जाति व्राह्मण निवासी ग्राम जींद जिला जींद हरियाणा। हाल निवासी ग्राम गुरूनावदा तेहसील श्यौपुर जिला श्यौपुर मध्य प्रदेश।

2- जतिन पुत्र केवल जाति व्राह्मण निवासी ग्राम जींद जिला जींद हरियाणा। हाल निवासी ग्राम गुरूनावदा तेहसील श्यौपुर जिला श्यौपुर म0प्र0।

श्री मुकेश मार्गव, एडव्हो. द्वारा आज दि. 26/X/15 को प्रस्तुत
रीडर ऑफ कोर्ट 26/X/15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

PS
मुकेश भार्गव
26-10-15 एडवोकेट
ग्वालियर

न्यायालय नायब तेहसीलदार महोदय वृत मानपुर तेहसील श्यौपुर जिला श्यौपुर मध्य प्रदेश व्दारा अपने न्यायालय 03/2013-2014 X अ /12 की आदेश पत्रिका में पारित आदेश दिनांक 27.06.2014 के बिरूद्ध पुनरीक्षण आवेदन पत्र।

मान्यवर महोदय ,

आवेदक की और से पुनरीक्षण आवेदन पत्र निम्नलिखित पेश हैः----

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

(1) यह कि ग्राम गुरूनावदा ,में आवेदक और जोगेन्द्र सिंह तथा आवेदक और जोगेन्द्र सिंह की मॉ सुरजीत कौर , पिता अजीत सिंह के नाम से 53 (तिरेपन)बीघा कृषि भूमि स्थित थी । जो इस प्रकार थी भूमि सर्वे कमांक 153 मिन रकबा 12 बीघा 11 विस्वा (एक सौ तिरेपन मिन रकबा बारह बीघा ग्यारह विस्वा)अजीत सिंह , भूमि सर्वे कमांक 172 रकबा 02 बीघा 01 विस्वा, (एक सौ बाहत्तर रकबा दो बीघा एक विस्वा)सर्वे कमांक 173 रकबा 03 बीघा 15 विस्वा (सर्वे कमांक एक सौ तेहत्तर रकबा तीन बीघा पन्द्रह विस्वा) आवेदक के भाई महेन्द्र सिंह पुत्र अजीत सिंह ,व सर्वे कमांक 232 रकबा 02 बीघा 18 विस्वा (सर्वे कमांक दौ सौ बत्तीस रकबा दो बीघा अठठारह विस्वा)सुरजीत कौर एवम् सर्वे कमांक 230 (सर्वे कमांक दौ सौ तीस)जोगेन्द्र सिंह व बलवीर सिंह पुत्र अजीत सिंह रकबा 10 बीघा 09 विस्वा (दस बीघा नौ विस्वा)स्थित थी। उपरोक्त भूमि तथा अन्य भूमि और सम्पत्ति का सभी भाईयो और पिता , मॉ के मध्य घरू वटवारा करीबन सन् 2000 में हो गया था ।

(2) यह कि घरू बटवारा के अनुसार सभी लोग अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहै थे, परन्तु घरू पैत्रिक वटवारा के

क्रमशः---------2

बलवीरसिंह

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3467—एक/2015 जिला—श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा षकों आदि के हस्ताक्षर
7.2.19	आवेदक के अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा नायव तहसीलदार वृत्त मानपुर तहसील व जिला श्योपुर के प्रकरण कमांक 03/अ—12/2013—14 में पारित आदेश दिनांक 27/06/14 के विरूद्व म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2— म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:— धारा—50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन— (ख) इस संहिता के अधीन प्रथम निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3—परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 15/04/19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 15/4/19 **अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर**	